न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– हरफूलसिंह यादव (आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :– 03/2016

(आरसीएमएस न0 2016/00016)

उनवान प्रकरण

गोरेलाल पुत्र स्व. श्री परिमाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम डागरपुर तहसील व जिला धौलपुर
..........................प्रार्थी

बनाम

1–बहादुर सिंह । पुत्रगण स्व. पंचम सिंह जातिगण त्यागी
2–ओमप्रकाश । निवासीगण ग्राम डागरपुर तहसील व जिला धौलपुर
3–श्रीमती गायत्री उर्फ गन्तो पुत्री स्व. पंचम सिंह पत्नी हरप्रसाद जाति त्यागी निवासी ग्राम डागरपुर तह0धौलपुर हाल आवाद लटूरीपुरा(लादूखेडा)तहसील खेरागढ आगरा
4–श्रीमति उर्मिला पुत्री स्व. पंचमसिंह पत्नी स्व. अशोक जाति त्यागी निवासी ग्राम डागरपुर तहसील व जिला धौलपुर हाल आवाद ग्राम सेवरा आगरा उ0प्र0
5–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर
................अप्रार्थीगण

(रैफरेन्स प्रार्थना पत्र धारा 82 एल0आर0एक्ट 1956)

उपस्थिति अभिभाषकगण :–

प्रार्थी की ओर से – श्री भगवती प्रसाद झां एडवोकेट
अप्रार्थी सं01लगा04 की ओर से – श्री गजेन्द्र सिंह राना एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से – श्री गोपाल नारायन शर्मा राजकीय अभि0

निर्णय दिनांक 24.08.2018

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र रैफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत निम्नानुसार प्रेषित किया गया है कि आराजी साविक खसरा नम्बर 147 रकवा 05 विस्वा बांके ग्राम डागरपुर तहसील धौलपुर सम्बत 2010 से 2022 तक किस्म चाह पुख्ता पानी दर्ज है तथा उक्त ख0न0 में कूआ पुख्ता व एक मंदिर हनुमान व शिवजी का पुख्ता बना हुआ है जो कि उक्त कूआ व मंदिर सार्वजनिक है।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

उक्त साविक ख0न0 147 का दौराने बन्दोवस्त नया नम्बर 165 कायम किया गया तथा बन्दोवस्त द्वारा उक्त नम्बर में से 03 विस्वा आराजी गैर मुमकिन बाडा दर्ज कर दी है जिसका कि बन्दोवस्त विभाग को कोई अधिकार नहीं था। उक्त आराजी में से होकर एक रास्ता मंदिर तक जाता है एवं कूआ पुख्ता के बगल में से होकर एक रास्ता गोरेलाल प्रार्थी व अन्य खेतों तक जाता है उक्त दोनो रास्ते करीव 100 साल पुराने है तथा वर्तमान में भी कायम है। तहसीलदार धौलपुर द्वारा उक्त खसरा नम्बर 165 में से 453 वर्गगज भूमि वास्ते गौत अप्रार्थीगण संख्या 1लगा04 के पिता स्व0 श्री पंचमसिंह के नाम दिनांक 23.9.1980 को सनद जारी कर दी जिसका नामान्तकरण पंचमसिंह के नाम गैरखातेदारी का राजस्व रिकार्ड में किया जा चुका है। पंचमसिंह का निधन 8 साल पूर्व हो चुका है परन्तु उक्त आराजी पर गैरखातेदारी का नामान्तकरण अभी तक अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा04 के नाम नहीं खोला है इसलिये अप्रार्थीगण को प्रकरण पक्षकार बनाया गया है। उक्त आराजी सार्वजनिक प्रयोग की भूमि है जो धारा 16 राज0काश्तकारी अधिनियम के अनुसार किसी प्रकार से किसी को भी आवटित,नियमन,सनद जारी नहीं की जा सकती है यदि ऐसा किया गया है तो आवंटन,नियमन,सनद प्रारम्भ से ही शून्य है। वर्तमान में मौके पर उक्त खसरा नम्बर 165 में कच्ची वाउण्ड्री वाल मन्दिर की बनी हुई है एवं सम्पूर्ण रकवे का उपयोग सम्पूर्ण ग्रामवासी कूआ से पानी भरना एवं अपने अपने मवेसियों को पानी पिलाना तथा मंदिर में पूजा अर्चाना एवं खाली जगह में शादी, समारोह, पंचायत आदि के कार्य के रूप में उपयोग व उपभोग में ले रहे है। अप्रार्थीगण के पिता स्व. पंचमसिंह ने उक्त कूआ पुख्ता एवं मदिंर की सार्वजनिक भूमि का गलत तरीके से दिनांक 23.9.1980 को सनद(आवंटन) जारी कराया गया है जिसको 18 वर्ष बाद समस्या समाधान अभियान के तहत दिनांक 24.8.1998 को राजस्व प्रविष्टियों में अपना नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज कराया है जो कानूनन गलत है। ऐसे गलत आदेशों इन्द्राजातों को कभी भी रैफरेन्स के माध्यम से निरस्त कराया जा सकता है तथा ऐसे गलत एवं फर्जी इन्द्राजातों से अप्रार्थीगण के पिता ना अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ख0न0 साविक 147 रकवा 05 विस्वा किस्म चाह पुख्ता पानी बांके ग्राम डागरपुर तहसील धौलपुर के हाल खसरा नम्बर 495/165 रकवा 03 विस्वा जो अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा04 के पिता स्व0 पंचमसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है का रैफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजे जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल खसरा सम्बत 2010से 15, 2016से19, नकल जमाबंदी सम्बत 2019से22, 2071से74, नकल जमाबंदी बंदोवस्ती, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल नक्शा ट्रेस, नकल नामान्तकरण संख्या 203 जमाबंदी सम्बत 2059 से 62 बांके ग्राम डागरपुर तहसील धौलपुर पेश किये है।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1लगा0 4 की ओर से श्री गजेन्द्रसिंह राना एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या–5 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1लगा04 की ओर से प्रार्थना पत्र का जबाव पेश किया गया जिसमें उन्होने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को अस्वीकार करते हुये कथन किया कि खसरा नम्बर 165 रकवा 04 विस्वा में से करीव 01 विस्वा भूमि में पूर्व दिशा की ओर मंदिर बना हुआ है शेष 03 विस्वा भूमि में उत्तरदातागण का वाडा बना हुआ है। खसरा नम्बर 165 में ना तो कोई कुआ बना है ना ही कोई वाउण्ड्रवाल है एव ना ही कोई रास्ता है। खसरा नम्बर 165 से करीव 10–12 हटकर ग्राम आवादी में कुआ बना हुआ है कुआ के उत्तर दिशा में उत्तरदातागण का लेन्टर का दासा पडा हुआ है जो ग्राम आवादी में पडा है। उत्तरदातागण के पिता के हक में 23.9.1980 को सनद जारी हुई। सनद के विरूद्व प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कोई अनुतोष नहीं चाहा है केबल गैरखातेदारी के नामान्तकरण के विरूद्व अनुतोष चाहा है। सनद भी एक प्रकार का आवंटन आदेश है जब तक सनद अवैध धोषित नहीं हो जाती तब तक सनद के आधार पर खोला गया आदेश अवैध धोषित नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी को सनद व नामान्तकरण के विरूद्व अलग अलग प्रार्थना पत्र पेश करने चाहिए जो नहीं किये गये इस आधार पर रैफरेन्स खारिज किये जाने योग्य है। उपरोक्त नामान्तकरण के विरूद्व पूर्व में प्रार्थी द्वारा माताप्रसाद वगैरा से मिलकर अपील पेश कराई गई जिसका उनवान माताप्रसाद व अन्य बनाम पंचमसिंह वगैरा अपील संख्या 19/99 है जो न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 26.7.2001 को खारिज फरमा दी। पूर्व में एक राजस्व वाद टीकाराम ने उत्तरदातागण के पिता पंचमसिंह के विरूद्व दायर किया जिसमें न्यायालय एस.डी.ओ. धौलपुर के आदेश से दिनांक 31.5.2009 को पर्चा मौका बनाया गया। उक्त पर्चा मौका में माप करने के बाद कुए को ग्राम आवादी में पाया गया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा दिनांक 27.1.2017 को प्रार्थना पत्र मौका रिपोर्ट मंगाये जाने बावत पेश किया जो दिनांक 28.2.18 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धौलपुर से मौका रिपोर्ट तलव की गई। तहसीलदार धौलपुर ने अपने पत्र क्रमांक 3616 दिनांक 25.7.2018 के द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की जो सामिल पत्रावली की गई।

पत्रावली वहस हेतु नियत की गई। वहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये अपनी बहस में कथन किया कि आराजी साविक खसरा नम्बर 147 रकवा 05 विस्वा ग्राम डागरपुर तहसील धौलपुर सम्बत 2010 से 2022 तक किस्म चाह पुख्ता पानी दर्ज है तथा उक्त ख0न0 में कूआ पुख्ता व एक मंदिर हनुमान व शिवजी का पुख्ता बना हुआ है जो कि उक्त कूआ व मंदिर सार्वजनिक है। उक्त साविक ख0न0 147 का

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

दौराने बन्दोवस्त नया नम्बर 165 कायम किया गया तथा बन्दोवस्त द्वारा उक्त नम्बर में से 03 विस्वा आराजी गैर मुमकिन बाडा दर्ज कर दी है जिसका कि बन्दोवस्त विभाग को कोई अधिकार नहीं था। तहसीलदार धौलपुर द्वारा उक्त खसरा नम्बर 165 में से 453 वर्गगज भूमि वास्ते गौत अप्रार्थीगण संख्या 1लगा04 के पिता स्व0 श्री पंचमसिंह के नाम दिनांक 23.9.1980 को सनद जारी कर दी जिसका नामान्तकरण पंचमसिंह के नाम गैरखातेदारी का राजस्व रिकार्ड में किया गया। पंचमसिंह का निधन 8 साल पूर्व हो चुका है परन्तु उक्त आराजी पर गैरखातेदारी का नामान्तकरण अभी तक अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा04 के नाम नहीं खोला है इसलिये अप्रार्थीगण को प्रकरण पक्षकार बनाया गया है। उक्त आराजी सार्वजनिक प्रयोग की भूमि है जो धारा 16 राज0काश्तकारी अधिनियम के अनुसार किसी प्रकार से किसी को भी आवटित,नियमन,सनद जारी नहीं की जा सकती है। अप्रार्थीगण के पिता स्व. पंचमसिंह ने उक्त कूआ पुख्ता एवं मदिंर की सार्वजनिक भूमि का गलत तरीके से दिनांक 23.9.1980 को सनद(आवंटन) जारी कराया गया है जिसको 18 वर्ष बाद समस्या समाधान अभियान के तहत दिनांक 24.8. 1998 को राजस्व प्रविष्टियों में अपना नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज कराया है जो कानूनन गलत है। ऐसे गलत आदेशों इन्द्राजातों को कभी भी रैफरेन्स के माध्यम से निरस्त कराया जा सकता है। तहसीलदार धौलपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 25.7. 18 से भी प्रार्थी के कथनो की पुष्टि होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रैफरेन्स स्वीकार फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी वहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 165 रकवा 04 विस्वा में से करीव 01 विस्वा भूमि में पूर्व दिशा की ओर मंदिर बना हुआ है शेष 03 विस्वा भूमि में उत्तरदातागण का वाडा बना हुआ है। खसरा नम्बर 165 में ना तो कोई कुआ बना है ना ही कोई वाउण्ड्रवाल है एव ना ही कोई रास्ता है। कुआ आवादी में बना हुआ है कुआ के उत्तर दिशा में उत्तरदातागण का लेन्टर का दासा पडा हुआ है जो ग्राम आवादी में पडा है। उत्तरदातागण के पिता के हक में 23.9.1980 को सनद जारी हुई। सनद के विरूद्ध प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कोई अनुतोष नहीं चाहा है केबल गैरखातेदारी के नामान्तकरण के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। सनद भी एक प्रकार का आवंटन आदेश है जब तक सनद अवैध धोषित नहीं हो जाती तब तक सनद के आधार पर खोला गया आदेश अवैध धोषित नहीं किया जा सकता है। नामान्तकरण के विरूद्व पूर्व में एक अपील उनवानी माताप्रसाद व अन्य बनाम पंचमसिंह वगैरा अपील संख्या 19/99 पेश हुई जो न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 26.7.2001 को खारिज फरमा दी। पूर्व में एक राजस्व वाद टीकाराम ने उत्तरदातागण के पिता पंचमसिंह के विरूद्व दायर किया जिसमें न्यायालय एस.डी.ओ. धौलपुर के आदेश से दिनांक 31.5. 2009 को पर्चा मौका बनाया गया। उक्त पर्चा मौका में माप करने के बाद कुए को ग्राम आवादी में पाया गया। प्रार्थी का प्रार्थना गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। आराजी साविक खसरा नम्बर 147 रकवा 05 विस्वा ग्राम डागरपुर तहसील धौलपुर दौराने बन्दोवस्त नया नम्बर 165 रकवा 4 विस्वा कायम किया गया है। गत खसरा नम्बर 147 रकवा 05 विस्वा गिरदावरी सम्वत 2010 से 2015 व 2016 से 19 एवं जमाबंदी सम्वत 2019 से 22 जिसमें उक्त खसरा नम्बर की किस्म चाह पुख्ता पानी(सिवायचक)पानी के नीचे डूबी हुई दर्ज है एंव मिसल बन्दोवस्त सम्वत 2028 में खसरा नम्बर 165 की किस्म गैर मुमकिन बाडा दर्ज है। ग्राम डागरपुर का आराजी खसरा नम्बर 165/495 रकवा 03 विस्वा किस्म गैर मुमकिन बाडा अप्रार्थी बहादुरसिंह, ओमप्रकाश पुत्रान व गायत्रीदेवी, उर्मिलादेवी पुत्रियान पिसरान स्व. पंचमसिंह जाति त्यागी सा. देह गैरखातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं खसरा नम्बर 165/494 रकवा 01 विस्वा किस्म गैर मुमकिन बाडा सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार धौलपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 25.7.2018 के अनुसार मौके पर वर्तमान खसरा नम्बर 165 रकवा 04 विस्वा में से दो नम्बर बन चुके है परन्तु नक्शे में तरमीम नहीं है उक्त पूरे नम्बर में कुछ भूमि पर मन्दिर एवं कुछ भूमि मौके पर खाली है जिसको लोगो द्वारा गौत के उपयोग में ली जा रही है एवं मौके पर कोई कुआ वर्तमान में नहीं है। इस प्रकार खसरा नम्बर 165 में से रकवा 03 विस्वा पर अप्रार्थीगण के पूर्व पुरूष पंचमसिंह के नाम दिनांक 23.9.1980 को जारी की गई सनद (आवटंन) भूमि सार्वजनिक प्रयोग की भूमि है जो धारा 16 राज0काश्तकारी अधिनियम के अनुसार किसी प्रकार से किसी को भी आवटित,नियमन,सनद जारी नहीं की जा सकती है। उक्त आराजी पर गैरखातेदारी के इन्द्रांज निरस्त किये जाने योग्य है। अतः इस प्रकार हमारी राय में अप्रार्थीगण के नाम गैरखातेदारी के इन्द्रांजों को निरस्त करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि विवादित आराजी ख0न0 साविक 147 रकवा 05 विस्वा किस्म चाह पुख्ता पानी बांके ग्राम डागरपुर तहसील धौलपुर के हाल खसरा नम्बर 495/165 रकवा 03 विस्वा जो अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा04 के पिता स्व0 पंचमसिंह के नाम एवं वर्तमान में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा04 के नाम राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है के इन्द्रांज निरस्त करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया जाता है तथा उभयपक्षों को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में उपस्थित होने हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 01.10.2018 नियत की जाती है। प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाया जाकर नम्बर से कम किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.8.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

Scanned by CamScanner